राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेगर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 47/2025 अपील

1. कंचन देवी पत्नी स्व. बालूराम कलाल निवासी उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा हाल निवासी– 1–सी–बल्लभ नगर, कोटा
2. गोपाल उर्फ रविन्द्र प्रताप जायसवाल पुत्र स्व. बालूराम, कलाल निवासी उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा हाल निवासी– 1–सी–बल्लभ नगर, कोटा
3. बबलू उर्फ महेन्द्र प्रताप पुत्र स्व. बालूराम कलाल मन्दबुद्वि/ अनसाउण्ड माईण्ड का व्यक्ति जरिये संरक्षक माता श्रीमति कंचन देवी पत्नी स्व. बालूराम, निवासी उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा–राज. हाल निवासी 1–सी–बल्लभ नगर, कोटा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा–राज.
2. सुरेन्द्र प्रताप पुत्र स्व. बालूराँम कलाल निवासी– 9–बी, बल्लभ नगर, कोटा
3. नरेन्द्र प्रताप पुत्र स्व. बालूराम कलाल निवासी– 1–सी, बल्लभ नगर, कोटा
4. विरेन्द्र प्रताप पुत्र स्व. बालूराम कलाल निवासी– 1–सी, बल्लभ नगर, कोटा
5. राजेन्द्र प्रताप पुत्र स्व. श्री बालूराम कलाल निवासी– 1–सी, बल्लभ नगर, कोटा

–रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री त्रिलोक चन्द नौलखा, अधिवक्ता – अपीलान्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.02.2026

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

विरूद्व तहसीलदार जहाजपुर के नामान्तकरण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इन्तकाल नम्बर–106, ग्राम उंचा में की गई त्रुटि को संशोधित करते हुये विधिक वारिसान का छूटा गया नाम राजस्व रेकॉर्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत किया। स्व. बालूराम जी के प्रथम श्रेणी के वारिस उनकी पत्नी अपीलार्थी के जीवित होते हुये नामान्तरणकरण संख्या 106 उसके नाम नही खोला गया। जबकि धारा 08 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रों के समान हक हिस्सा धर्मपत्नी का भी निहित है। नामान्तरणकरण संख्या 106 बिना जांच किये विधि विरूद्ध तौर पर फैसल किया गया है। उस प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार भू–अभिलेख ग्राम उंचा के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई जिस पर दिनांक 09.11.2019 को पटवार हल्का उंचा के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को रिपोर्ट पेश की गई। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया कंचन देवी पत्नी बालूराम कलाल का नाम बालूराम पिता भूरा लाल की विरासत के समय पुत्रों में पत्नी का नाम भी आना चाहिये था जो कि नामान्तरण संख्या 106, निर्णय दिनांक 02.06.74 से विरासत के समय नही आने से प्रार्थीया का नाम अपने पुत्रों के साथ जुडवाना चाहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के पश्चात् निरीक्षक की भी रिपोर्ट मांगी गई जिस पर दिनांक 22.11.2019 को भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा अपनी रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट को पेश कर दी। अपीलान्ट के द्वारा जो प्रार्थनापत्र पेश किया गया था वह राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के चेप्टर–7 (एफ) के अन्तर्गत पेश किया गया था और जिसमें धारा 135 के अन्तर्गत सूचना मिलने की प्रक्रिया एवं धारा–136 के अन्तर्गत गलतियों का शुद्धिकरण करने के संबंध में है, उसके स्कोप को समझने एवं प्रकिया एप्लायी करने में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा त्रुटि की गई है। किसी निर्वसयती हिन्दु के विरासत हेतु स्वीय विधि बाबत् प्रावधान है और मृतक हिन्दु व्यक्ति होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के प्रथम सूची में वर्णित वारिसान अनुसार पत्नी प्रथम श्रेणी के वारिस होने से विरासतन नाम दर्ज करने की अधिकारी है लेकिन नामान्तरणकरण संख्या 106 गलत तौर केवल पुत्रों के नाम ही निस्तारित किया गया है। अपीलार्थी स्व. बालूराम जी की वैध विवाहिता पत्नी है तथा पुत्रों के सामन ही स्व. बालूराम जी की विरासत प्राप्त करने की अधिकारी है। धारा–75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत यदि कोई आदेश तहसीलदार के द्वारा किया गया है तो उसके विरूद्ध अपील का प्रावधान श्रीमान् कलेक्टर को है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

आदेश पारित किया गया है वह किस प्रावधान के अन्तर्गत है, वह स्पष्ट नही होने से भी अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के यहां जो भी दस्तावेज पेश किये गये है उन दस्तावेजों को भी प्रस्तुत प्रकरण में एप्लायी नही किया गया और ना ही देखा गया। इस कारण से भी आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 25.11.2019 अपास्त किये जाने योग्य है। नामातंरण संख्या 106 में बबलू और गोपाल नाम अंकित किये गये है, मुख्य रूप से बबलू का नाम महेन्द्र प्रताप है और गोपाल का वास्तविक नाम रविन्द्र प्रताप जायसवाल है। इस कारण से नामातंरण संख्या 106 में भी बबलू और गोपाल की जगह बबलू उर्फ महेन्द्र प्रताप एवं गोपाल उर्फ रविद्र प्रताप अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पारित आदेश कमांक भू.अ.ध2019ध6417 दिनांक 25.11.2019 को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम का इन्द्राज इन्तकाल नम्बर 106 में दर्ज करवाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित आदेश जो प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवश्यक हो पारित करने की कृपा करें। साथ ही माननीय न्यायालय से यह भी निवेदन है कि नामांतरण संख्या 106 में गोपाल के स्थान पर गोपाल/रविन्द्र प्रताप एवं बबलू के स्थान पर बबलू उर्फ महेन्द्र प्रताप अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करेंके सिद्वान्तो के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है।

प्रस्तुत अपील पंजीबद्व की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 16.01.2026 को अधिवक्ता संदीप मालवीय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) जा.दी पेश किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील/पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया गया। हस्तगत अपील नामान्तरकरण सं. 106 के विरूद्व पेश की गयी है। जो कि पत्रावली में संलग्न दस्तावेज पृष्ठ सं. 13 पर होकर दोनो पृष्ठो से प्रमाणित है कि नामान्तकरण सं. 106 ग्राम पंचायत उॅचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा द्वारा निर्णित किया गया है।

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

उक्त नामान्तरकरण सं. 106 ग्राम पंचायत उँचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा द्वारा निर्णित किया जाने से अपील न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य **हैं।** –

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/2/26

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा